खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0011 / 2017

1. मंगलचन्द गर्ग पुत्रश्री नानूलाल गर्ग मालिक एवं विक्रेता मैसर्स मंगलचन्द प्रदीप कुमार गर्ग, पंचायत भवन के पास, राणीसती मंदिर रोड, पावटा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवास पंचायत भवन के पास, पुरानी सड़क पावटा, कोटपूतली, जयपुर (राज.)
2. राकेश कुमार अरोड़ा पुत्रश्री अविनाश चन्द्र अरोड़ा मालिक मैसर्स अरोड़ा सैल्स कारपोरेशन, सी–6 जालूपुरा, अपूर्वा होटल के पास (गोविन्दपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास) जयपुर हाल निवास 51 / 13 मानसरोवर, सांगानेर, जयपुर, स्थायी पता 24 / 12 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर
3. श्री पी.के. गुप्ता (चैयरमैन) मैसर्स राज सोल्वेक्ष लिमिटेड हेड ऑफिस 1622 प्रथम तल, चन्द्रावल रोड़, सब्जी मण्डी, घण्टाघर दिल्ली–07

––अपीलार्थीगण

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य जरिए श्री रतनलाल वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–01 (राज.)
2. हीरालाल पुत्रश्री भोडुराम (नोमीनी) मैसर्स प्रिमीयर ऑयल मिल खसरा नं0 689 राजेन्द्र सिंह लकडा मार्ग, फिरनी रोड़, सैनी विहार, मुण्डका दिल्ली 11004
3. फर्म केयर ऑफ नोमीनी मैसर्स राज सोल्वेक्ष लिमिटेड मैसर्स प्रिमीयर ऑयल मिल खसरा नं0 689 राजेन्द्र सिंह लकडा मार्ग, फिरनी रोड़, सैनी विहार, मुण्डका दिल्ली 11004

––प्रत्यर्थीगण

एफए. प्रकरण संख्या : 0045 / 2017

1. हीरालाल पुत्रश्री भोडुराम (नोमीनी) मैसर्स प्रिमीयर ऑयल मिल खसरा नं0 689 राजेन्द्र सिंह लकडा मार्ग, फिरनी रोड़, सैनी विहार, मुण्डका दिल्ली 11004
2. फर्म केयर ऑफ नोमीनी मैसर्स राज सोल्वेक्ष लिमिटेड मैसर्स प्रिमीयर ऑयल मिल खसरा नं0 689 राजेन्द्र सिंह लकडा मार्ग, फिरनी रोड़, सैनी विहार, मुण्डका दिल्ली 11004

––अपीलार्थीगण

विरूद्व

1. राजस्थान राज्य जरिए खाद्य सुरक्षा अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, सी–स्कीम, जयपुर–01 (राज.)
2. रतनलाल वर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर–01

3. मंगलचन्द गर्ग पुत्रश्री नानूलाल गर्ग मालिक एवं विक्रेता मैसर्स मंगलचन्द प्रदीप कुमार गर्ग, पंचायत भवन के पास, राणीसती मंदिर रोड, पावटा, तहसील कोटपूतली जिला जयपुर निवास पंचायत भवन के पास, पुरानी सड़क पावटा, कोटपूतली, जयपुर (राज.)
4. राकेश कुमार अरोड़ा पुत्रश्री अविनाश चन्द्र अरोड़ा मालिक मैसर्स अरोड़ा सैल्स कारपोरेशन, सी–6 जालूपुरा, अपूर्वा होटल के पास (गोविन्दपुरा उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास) जयपुर हाल निवास 51/13 मानसरोवर, सांगानेर, जयपुर स्थायी पता 24/12 स्वर्ण पथ, मानसरोवर, जयपुर
5. श्री पी.के. गुप्ता (चैयरमैन) मैसर्स राज सोल्वेक्ष लिमिटेड हेड ऑफिस 1622 प्रथम तल चन्द्रावल रोड़, सब्जी मण्डी, घण्टाघर दिल्ली–07

––प्रत्यर्थीगण

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री अभिजीत पंचारिया, अधिवक्ता वास्ते श्री वी.डी. गठाला राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी सं.01 राज्य

:: निर्णय :: **दिनांक : 06.11.2017**

1. अपील सं. 11/2017 उनवान मंगलचन्द व अन्य बनाम सरकार व अन्य एवं अपील सं. 45/2017 हीरालाल व अन्य बनाम सरकार व अन्य योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, कोटपूतली, जयपुर जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 20/2014 रतनलाल बनाम मंगलचन्द वगैरा में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट प्रत्येक पर 50,000–50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है। दोनों अपीलों के तथ्य समान होने से एक ही आदेश से निपटारा किया जा रहा है।

2. प्रकरण के तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि श्री रतनलाल वर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर अपीलार्थी सं.01, 02 व 03 के यहां से तिल का तेल सारथी ब्राण्ड की खरीद की गई जिसका विश्लेषण कराया गया। विश्लेषण में मानक में कोई कमी नहीं पाई गई परन्तु पेकिंग के लेबल में Best Before जोकि बड़े अक्षरों लिखना चाहिए था, उसके स्थान पर छोटे अक्षरों में मुद्रित था। इस कारण सैम्पल को मिसब्राण्ड माना गया। बाद

सुनवाई न्याय निर्णायक अधिकारी ने प्रत्येक अपीलार्थी पर पचास–पचास हजार रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई।

3. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि पेकिंग लेबल पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.10 (2) की सारतः पालना कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि पेकिंग पर कोई तथ्य अंकित नहीं हो और जहां प्रावधानों की सारतः पालना कर दी जाती है वहां सैम्पल को मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता।

4. प्रत्यर्थी की ओर से आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

5. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

6. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तर्को की पुनरावृति की और अपने तर्क के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2012 (2) एफएसी 74 झारखण्ड हाई कोर्ट ऑस्कर जोसेफ व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य, 2012 (2) एफएसी 76 बोम्बे हाई कोर्ट माधवन गणेशन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य एवं एसबी. क्रिमीनल रिट पीटीशन नं. 287/2014 राजस्थान उच्च न्यायालय ओमप्रकाश नटानी व राजस्थान राज्य प्रस्तुत किए।

7. योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी का मुख्य तर्क यह रहा कि विधि द्वारा प्रावधानित प्रक्रिया से ही प्रावधान की पालना की जानी चाहिए, कोई पक्षकार अपने स्तर पर नई प्रक्रिया नहीं अपना सकता।

8. अवधार्य बिन्दु :––

> ''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, कोटपूतली, जयपुर ने आलौच्य आदेश दिनांक 26.10.2015 को पारित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

9. विनिश्चयः–– अपीलार्थीगण के विरूद्व तय किया जाता है।

10. विनिश्चय के कारणः––

11. जहां तक सैम्पल लेने के समय पैकिंग पर Best Before मुद्रित करने का प्रश्न है, यह स्वीकृत तथ्य है कि पैकिंग पर उक्त मुद्रण खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2011 के रेगूलेशन 2.2.10(2) के अनुरूप नहीं था। इस संबंध में 2012 (2) एफएसी 74 झारखण्ड हाई कोर्ट ऑस्कर जोसेफ व अन्य बनाम झारखण्ड राज्य व अन्य, 2012 (2) एफएसी 76 बोम्बे हाई कोर्ट माधवन गणेशन व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य प्रस्तुत हुए है। इस प्रकरण में खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1955 के नियम 32 के उल्लंघन के संबंध में यह माना गया था कि नियम 32 की सारतः पालना हो जाने से खाद्य पदार्थ को मिसब्राण्ड नहीं माना जा सकता। एसबी. क्रिमीनल रिट पीटीशन नं. 287/2014 राजस्थान उच्च न्यायालय ओमप्रकाश नटानी व राजस्थान राज्य के प्रकरण में Best Before के पश्चात 'With in' शब्द और जोड़ दिया गया था। ऐसी परिस्थिति में इसे मिसब्राण्ड नहीं माना था। यह माना गया था कि 'With in' शब्द जोड़ देने से तत्वों में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हुआ।

12. विधि के द्वारा जो प्रावधान किया गया है कि पैकिंग लेबल पर Best Before बड़े अक्षरों में लिखा जायेगा, उसके पीछे तात्पर्य यह है कि बड़े अक्षरों में लिखने पर उपभोक्ता का ध्यान आकर्षित होता है। इससे उसे यह निर्णय करने में कि उक्त खाद्य पदार्थ तत्समय खरीद करना है अथवा खरीद नहीं करना है। खरीद करने के पश्चात वह निर्धारित अवधि में उसका उपयोग कर पायेगा या नहीं कर पायेगा, इस संबंध में मदद मिलती है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि पैकिंग लेबल पर विधि द्वारा प्रावधानित तरीके से मुद्रित न करने पर भी विधि के प्रावधानों की सारतः पालना की गई है। जहां पर विधि द्वारा किसी प्रावधान की पालना करने का स्पष्ट तरीका बताया जाता है तो उसकी पालना करने के अन्य सब तरीके गर्भित रूप से अनुमतः नहीं होते है।

13. हस्तगत प्रकरण में पालना में त्रुटि तकनीकी त्रुटि मानी जा सकती है। इस संबंध में सभी अपीलार्थीगण पर समान रूप से शास्ति अधिरोपित की गई है, वह निश्चित रूप से विधिसम्मत नहीं है क्योंकि विक्रेता के द्वारा पैकिंग

लेबल नहीं लगाया जाता है। यह केवल मात्र उत्पादक द्वारा लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में शास्ति के बिन्दु पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है चूँकि अब विधि के प्रावधानों की पालना कर दी गई है और पालना की संपुष्टि में नई पैकिंग लेबल शपथपत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई खण्डन नहीं है।

:: आदेश ::

अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए आलौच्य आदेश जोकि प्रकरण संख्या 20/2014 रतनलाल बनाम मंगलचन्द वगैरा में पारित किया गया कि प्रत्येक अपीलार्थी पर 50,000रूपये की शास्ति आरोपित की गई, उसे अपास्त करते हुए अपीलार्थी संख्या 04 व 05 क्रमशः हीरालाल व फर्म जरिए नोमीनी मैसर्स प्रिमियर ऑयल मिल्स प्रत्येक पर 50,000रूपये के स्थान पर 5,000रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है। अपीलार्थी संख्या 01, 02 व 03 क्रमशः मंगलचन्द गर्ग, राकेश कुमार अरोड़ा एवं पी. के. गुप्ता प्रत्येक पर प्रतिकात्मक शास्ति 500–500रूपये की शास्ति अधिरोपित की जाती है, शेष आदेश यथावत रहेगा। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थीगण को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर